प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **115/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
Jayesh Ameta Add: Titardi, Napasar, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20/08/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329669982992233 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 9617178594 दिनांक 29.07.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/115/25/774–75 दिनांक 29.07.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली कियां गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक स.लो.सू.अ./2025/2619 दिनांक 18.08.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा आवेदनकर बिन्दु संख्या 1 से 5 तक सूचना चाही गई है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक स.लो.सू.अ./2025/2562 दिनांक 12.08.2025 से उपलब्ध करवा दी गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त सूचना दिनांक 13.08.2025 को कार्यालय में उपस्थित होकर सभी 5 बिन्दुओं की सूचना प्राप्त कर उक्त अपील में अब कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है अंकित कर हस्ताक्षरित कर पृष्ठांकन किया है। अतः जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 2562 दिनांक 12.08.2025 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है एवं अपीलार्थी द्वारा भी प्रत्यर्थी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त कर ली गई है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/08/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर